की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :--

(i) (क) 1988-89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित ।

(ख) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[Place in Library. *See* No. LT. 994/90 for (a) and (b)]

(ii) (क) 30 जून, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कर्णाटक डेयरी डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का तेहरवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं का लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

2 ऊपर 1 (i) (क) और (ii) (क) में उल्लिखित पत्र को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[Placed in Library. *See* No. LT 995/90 for (a) and (b) and *2]*

Report and Accounts (1988-89) of the National Dairy Development Board, and related papers.

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) भी सभा पटल पर रखता हूं :

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[Place in Library. *See* No. LT-998/90]

I. Report and Accounts (1988-89) of the Food Corporation of India, New Delhi and related papers.

II, Administrative Report and Accounts (July 1987 to March, 1989) of the Super Bazar, the Cooperative Store Limited, New Delhi and related papers.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. (i) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35(2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :--

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[श्री राम पूजन पटेल]

(2) ऊपर I (i) में उल्लिखित पत्र को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[Placed in Library. *See* No. LT-999/90]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :--

(i) 1 जुलाई, 1987 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड का तेईसवां वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और लेखे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) कोआपरेटिव स्टोर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा टल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[Placed in Library. *See* No. LT-1000/ 90]

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31-3-1989 (No. 4 of 1990)— Municipal Corporation of Delhi).

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : Madam, I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March 31, 1989 (No. 4 of 1990)—Municipal Corporation of Delhi).

[Placed in Library. SfeelNo. LT-1020/90]

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is a reply by Shri I. K. Gujral to clarifications. *{Interruption).*

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : I am on a poinl of order. *{Interruption).*

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): महोदया मंडल कमीशन की रिकोमेंडेशन पर बहस कराने के लिए कहा था और आपने मंजूर भी कर लिया था कि इस पर बहस कराई जाएगी, लेकिन जो बिजनेस एडवाजरी कमेटी की बैठक हुई, उसमें कल इस पर बात नहीं हुई और न ही मंजूरी हुई ।

उपसभापति : क्या ?

श्री राम अवधेश सिंह : मंडल कमीशन की रिकोमेंडेशन पर बहस कराने के लिए आप राजी हुई थीं, आपने कहा था कि सब प्रोसेस हो गया है और इस पर बहस होगी । सो, मैं कहना चाहता हूं, महोदया, कि

(व्यवधान)

उपसभापति : मैं एक-एक का जवाब दे दूं । पहले तो मैं राम अवधेश सिंह जी का जवाब दे दूं । आपने जिस बारे में चेयरमैन साहब को कहा था, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगी कि आप चेयरमैन साहब से मिल कर भी बात कर लें ताकि किस तरीके से इस छोटे समय में भी आपकी बात के बारे में भी विचार-विमर्श हो जाए... **(व्यवधान)** अब आपकी बात खत्म हो गई ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने बातचीत की है... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have asked Mr. Subramanian Swamy, please sit down.

श्री राम अवधेश सिंह : मि० सुब्रहमण्यम स्वामी आप बैठिये !... **(व्यवधान)**

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी आप अपनी जगह पर बैठिये । अभी आप वहां से सुब्रहमण्यम जी को बैठने के लिए न कहें । जब आप वाइस-चेयरमैन बनेंगे, तो आप उस समय स्वामी जी को बैठने के लिए कहिए ।